FORM - 1

(For Linear project)

Government of Chhattisgarh Office of the District Collector Surajpur

To WHOMESOECER IT MAY CONCERN

No -2000

R.C.No. 5/B-121/16-17 Dated -09.12.2016

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Covernment of India's letter No- 11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoFF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th I ebruary 2013 where in MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 11.243 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. for LILO of 132 KV. Bishrampur-Pratappur line from location no 42/0 to 132/33 KV Sub Station Rajpur, in Surajpur District falls with in jurisdiction of Semrakala, Chandreli, karsi, Barbaspur villages of tratappur tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.243 hectares of forest land prosposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Dommittee (s), Gram Sabha (s), Sub division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 01 to annexure 157.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Trible Groups and Pre-agricultural Communities.

Encl: As above.

(Sanjeev Kumar Jha)
COLLECTOR

DIST. - SURAJPUR

FORM-1

(for linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector: Balrampur-Ramanujganj

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

No 915 GReader/Callic

Dated 23/4/16

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-9.98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement rights under the scheduled Tribes and Others Traditional Forest dewellers (Recognition of Forest Right) Act. 2006 (FRA for short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 6.961 Hectares of Forest land proposed to be diverted in favour of Chhattisgarh State Power Transmission CO. LTD. For 132 kv. transmission line in Balrampur-Ramanujganj District falls within jurisdiction of Murka, Singchora, Navki, Chilmakala, Rajpur, Chatkpur villages in Rajpur tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identificatin and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.961 Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s). Gram Sabha (s), Sub Division Level Committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure...... to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl: AS above.

DISTRICT- BALLANDEBROKAMANUJGANJ

उप खण्ड न्तरीय दम आयकार समिति राजपुर मिला कनगमपुर-राज्याज गठनगळ



-ः कार्यवाही विवरणः-

- प्रस्तावित भूमि विचार करने हेतु आज दिनाक '⁸ /II / 2016 को उपराण्ड स्तशेय समिति की बडक आयोजित की गई जिसमे निम्नानुसार अधिकारी एवं सदस्य उपरिथत रहे -
- 1 अनुविभागीय अधिकारी (रा) राजपुर।
- 2. अनुविभागीय अधिकारी (वन.) राजपुर।
- 3 श्री कमला प्रसाद, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजपुर।
- शिवनाथ जायसवाल, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत राजपुर।
- 5 ्र लालसाय, मिंज, जनपद पंचायत सदस्य, राजपुर।
- के०के० जायसवाल, मंण्डल संयोजक, राजपुर।
 परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि:-
- सर्व प्रथम उपस्थित अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों का अनुविभागीय अधिकारी (रा) राजपुर द्वारा स्वागत किया गया। पश्चात् कार्यपालन अभियंता अति उच्चदाव निर्माण सभाग छ०ग० वि०पा०क०मर्या० कोरबा द्वारा लियो ऑफ 132 के०व्ही० विश्रामपुर प्रतापपुर, बलरामपुर लाईन के लाक नंबर 42/0 से टेपिंग कर 132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र राजपुर (चटकपुर) तक लाईन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त लाईन मुरका, सिंगचौरा, नवकी, चिलमाकला, राजपुर एव चटकपुर कुल राजस्व वन भूमि 6 961 हे. से होकर गुजरी है।

- सी.एस.ई.बी. के सर्वे अनुसार प्राप्त प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमां	ग्राम	तहसील	ख0न0	रकवा है	कालम न ५ में अकित	भूमि का किरम	FRA as
क					रकवा में से उपयोग		तहत जारी
					हेत् माग की गयी भूगि		वन अधिवार
					का रकबा है मे		पञ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			965/2	0.774	0.438	राजस्य वनभाग	<u> नेर</u> क
	मुरका	राजपुर	982/76	0.263	0.064	राजस्य वनभीग	निर्क
2	सिंगचौरा	राजपुर	6	0.240	0.023	राजरत वनभूगि	निरंक
			15	1.100	0.031	राजस्य वनभूगि	िर्हा
			111/1	18.147	0.471	राजस्व वनभूगि	निस्त
				0.460	0.162	राजस्य वनभूगि	िरिक
			671/1	6.657	7	राजस्य वनभूगि	निर्क
			673/1	4.059	550 500 500 500	राजरव वनमूर्ग	िर्ग.
			115/1	15.066	0.467	राजस्य वनभूगि	1-12-11
3	नवकी	राजपुर	24	0.150	The state of the s	राजस्य वनग्री	FR11
			530	0.648	7 5 / 7 5 / 7	राजस्य वनमंगि	To the
			521	0.032	0.013	राजया वनभूगि	Tara Tara
			527	1.991	0.346	राजग्व वनभौगे	1.727
			128	2.509		रांजरत उनभीने	निर्म
4	चिलमाकल	राजप्र	29	6.110		राजस्य वनमीर्ग	िर्देश
5	राजपुर	राजपुर	667/1	2.303		राजामा चनभीग	- विराह
			692/1	0.688	0.204	राजम्ब बनमीम	1.12 1
			1/20	0.304	4.000	राजया वनमेंग	1 रहत
			256/1	9.882		A	िपुर्वा
	योग:-		19	71.383	6.961	राजामाना ।	

प्रस्तावित भूमि विचार करने हेतु आज दिनाक 18 /11 / 2016 का उपस्थाण्ड समिति की बैडक आयोजित की गई जिसमें परीक्षण उपरात यह पाया गया कि

- आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भृमि में मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना शेष नहीं है।
- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित क्षेत्र में विशेष पिछडा जनजाति समुह विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पीटी जी पी ए सी.) निवासरत नहीं है। जिनका वन अधिकार अनुस्थित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(इ) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
- उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार पत्र समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि पर उक्त लाईन निर्माण कार्य किये जाने की अनुशंसा कर जिला समिति की भेजे जाने का प्रस्ताव पारति किया गया।

राजप्र, दिनांक 16/11/

पृ.क्रमांक / अधी / वाचक / 2016

कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रा०गंज की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (वन) राजपुर जिला बलरामपुर-रा०गंज की सूचनार्थ। 2

उप खण्ड स्तरीय समिति सदस्य

राजपुर की ओर सूचनार्थ।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जिला-सूरजपुर //बैठक की कार्यवाही विवरण//

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम सेमराकला, चन्द्रेली, करसी एवं बरबसपुर में 132 केंव्हीं विद्युत लाईन निर्माण हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुशंशा सहित प्रस्ताव छ०ग० राज्य विद्युत पारेशण कंपनी कोरबा से उपखण्ड स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है —

承0	ग्राम का	पंचायत का	हल्का	खसरा	रकबा हे0	विद्यान	मद	ED 1 2	
	नाम	नाम	नं0	नं0	भें	विद्युत लाईन में	गप	FRA के तहत जारी वन अधि0	
						प्रभावित		की मान्यता पत्र	
						रकबा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सेमराकला	सेमराकला	23	914	0.14	0.118	राजस्व वन भूमि	निरंक	
				911	0.22	0.045	राजस्व वन भूमि	निरंक	
				912	0.07	0.057	राजस्व वन भूमि	निरंक	
2	चन्द्रेली	सिलौटा	25	54	6.57	0.007	राजस्व वन भूमि	श्री सागर आ0 देवशरण और ऱ	
				38	0.38	0.045	राजस्व वन भूमि	निरंक	
				43	1.60	0.134	राजस्व वन भूमि	श्री रामचन्दर आ० रामसुख को इ	
				42	4.07	0.892	राजस्व वन भूमि	श्रा चन्दर साय आ० कईला रेए इ	
				58	0.67	0.151	राजस्व वन भूमि	निरंक	
				62	2.16	0.265	राजस्व वन भूमि	श्री धनीराम आ नारख्य जो इ	
				61	2.78	0.082		श्री गुलाब आ0 रामशरण जेरड़	
				64	0.450	0.026	राजस्व वन भूमि	श्रीमती करमेन पित्र कींग् जीड़	
				470	0.01	0.012	राजस्व वन भूमि	निरंक	
				476	0.230	0.039	राजस्व वन भूमि	श्री शरमलाल आ ज्याप के ई	
3	करसी	करसी	27	11	0.22	0.034	राजस्व वन भूमि		
	620 TABAS			12	0.080	0.009	राजस्व वन भूमि	श्री चमन आ० धनसाय देऽ।इ	
				14	1.090	0.301	राजस्व वन भूमि	निरंक	
				46	0.330	0.044	राजस्व वन भूमि		
- 1				103	1.000	0.232		श्री चमन आ० धनसाय केउन	
				104	0.970	0.005	राजस्व वन भूमि	श्री चमन आ० धनसाय कीउ। दू	
				267	0.350	0.073	राजस्व वन भूमि		
4	बरबसपुर	बरबसपुर	27	841/1	1.740	0.004	राजस्व वन भूमि		
7	4141131	7,1,1,3,		930	0.560	0.016	राजस्व वन भूगि	ने निरंक	
- 1				1345	0.460	0.187	राजस्व वन भूगि	ने निरंक	
- 1				1355	1.620	0.313	राजस्व वन भूगि	मे निरंक	
योग 27.770							हेक्टेयर		
	न नन भगि					3.091 6.942	हेक्टेयर		
	त वन भूमि					1.210	हेक्टेयर		
भारक्षित वन भूमि महायोग						11.243	हेक्टेयर		

अज्ञावमागाय आध्यकार्य (स.) प्रतापपुर,शूरजपुर (छ.ग.)

010000111-1

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनॉक 07/12/2016 को उपखण्ड स्तरीय समिति की टक आयोजित कि गई जिसमें परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत पंक्ति क्र0 9 में उल्लेखित अनुसार (10 हितग्राहियों) हितग्राहियों को व्यक्तिगत दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इसन् अतिरिक्त उल्लेखित खसरों में मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना शेष नहीं हैं।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर 132 केव्ही विद्युत लाईन निर्माण किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशशा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

श्री राम कुमार सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

मंड़ल सैयोजक उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर श्री सतीष सिंह सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

श्री बुध साय सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

> उप—वनमंडलाधिकारी प्रतापपुर